c/142

सं.यो.सा.वि./306(10)/2015-16 / 04 संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन योजना एवं सांख्यिकी विभाग, सचिवालय, मोटी दमण-396 220 दिनांक :-23/ 04/2015

विषय :- जन्म एवं मृत्यु तथा इनके प्रमाणपत्रों को जारी करने में अनियमितताएँ और भ्रष्ट आचार . . संदर्भ:- महा पंजीकार, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली-110 066 के कार्यालय से प्राप्त पत्र सं. 11/2/2014-वी.एस. (सी.आर.एस.)/271, दिनांक 25 मार्च, 2015

#### परिपत्र

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से संबंधित कार्य कर रहे सभी कार्यकर्ताओं के ध्यान में यह लाया जाता है कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाये गये समवर्ती नियमों के तहत जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण किया जा रहा है । जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की धारा-7 एवं 21 के प्रावधानों के अनुसार, हरेक जन्म (मृत जन्म सहित) एवं मृत्यु को संबंधित पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा पंजीकृत किया जाना अपेक्षित है, जो उनके अधिकार क्षेत्र में हुआ था । साथ ही उक्त अधिनियम की धारा-12 के प्रावधान के तहत पंजीकार को पंजीकरण पूरा होते ही यथाशीघ्र सूचनादाता को जन्म / मृत्यु पंजियों से संगत उद्धरण / प्रमाणपत्र जारी करना अपेक्षित है ।

ऐसी रिपोर्ट मिली है कि उक्त अधिनियम के तहत पंजीकरण तथा प्रमाणपत्र के उद्धरण के अनिवार्य प्रावधानों जारी करने के बावजूद ऐसा देखा गया है कि जनता को जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण कराने में और वांछित जन्म / मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट की गई है कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण प्रणाली में कई भ्रष्ट आचारों के संबंध में अनेक शिकायतें /अभ्यावेदन दिए जा रहे हैं । ऐसी रिपोर्ट भी मिली है कि जन्म या मृत्यु पंजीकरण कराने के लिए पंजीकरण कार्यकर्ताओं को रिश्वत दी जा रही है ।

सफल एवं नागरिक हितैषी पंजीकरण प्रणाली को सरल एवं कारगर बनाने के लिए सभी पंजीकारों से ठोस प्रयास करने और जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण की मौजूदा प्रणाली में और उखरण / प्रमाणपत्र जारी करने में रिश्वतखोरी की रोकयाम के लिए उपयुक्त कदम उठाने अनुरोध है, ताकि आम जनता को निर्धारित समय-सीमा के भीतर जन्म / मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करने में परेशानी न हो । प्रशासन निम्नलिखित मामलों में चूककर्ताओं के विरोध सख्त कार्रवाई करेगा :-

- जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण की मौजूदा कार्य में और उद्धरण / प्रमाणपत्र जारी करने में किसी प्रकार के अच्ट आचार में लिप्त व्यक्ति विरुद्ध सखत कार्रवाई की जायेगी । गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जायेगा ।
- जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण हेतु पारदर्शी प्रणाली बनाई जानी चाहिए, जिसमें पंजीकरण (विलंबित पंजीकरण सहित) एवं जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने में समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए ।
- पंजीकरण कार्यकर्ताओं को किसी एक स्थल पर तीन वर्षों से अधिक के लिए या प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी स्थानांतरण नीति संबंधी मार्गदर्शी सिखांतों के अनुसार तैनाती नहीं दी जानी चाहिए ।
- 4. जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की धारा-23 (2) के तहत निर्धारित जुर्माना ऐसे किसी पंजीकारों या उप-पंजीकारों पर लगाया जायेगा, जो अपने अधिकार क्षेत्र में हुए किसी जन्म एवं मृत्यु करने में, किसी तर्क संगत कारण के बिना, किसी जन्म एवं मृत्यु करने में लापरवाही बरतते हैं या इंकार करते हैं ।
- 5. जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा-15 के साथ पठित दमण एवं दीव जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 2000 के नियम-11 के अंतर्गत संशोधन की नेमी रूप से अनुमति नहीं दी जाती है । पंजीकारों को परिपत्र सं. यो.सां.वि/306/2001-02/121, दिनांक 22/04/2002 और उक्त विषय पर जारी किये गये अन्य निदेशों / निर्देशों / परिपत्रों का अक्षरश: पालन करना चाहिए ।

उपर्युक्त निदेशों को सखत अनुपालन हेतु नोट किया जाय ।

(डॉ. एस. डी. भारद्वाज ) उप-निदेशक (योजना)/ अपर मुख्य जन्म एवं मृत्यु पंजीकार

प्रतिलिपि :-

- 1. सचिव (योजना) एवं मुख्य पंजीकार, जन्म एवं मृत्यु, सचिवालय, दमण एवं दीव ।
- समाहर्ता एवं जिला पंजीकार, जन्म एवं मृत्यु, दमण एवं दीव ।
- उप-महा पंजीकार (सी.आर.एस.), गृह मंत्रालय, महा पंजीकार का कार्यालय, भारत, भारत सरकार, वाईटल सांख्यिकी प्रभाग, वेस्ट ब्लॉक -1 आर.के.पुरम, नई दिल्ली ।
- 4. निदेशक, जनगणना कार्य, गुजरात, गृह मंत्रालय, जनगणना कार्य निदेशालय, जनगणना भवन, सेक्टर-10/ए, गॉधीनगर-382010
- 5. खंड विकास अधिकारी एवं अपर जिला पंजीकार, जन्म एवं मृत्यु, दमण एवं दीव जिला ।
- सभी पंजीकार, जन्म एवं मृत्यु, दमण एवं दीव ।
- 7. सहायक निदेशक (राजाभाषा), सचिवालय, दमण ।

No. DPS/306(10)/2015-16/ **104** Administration of Daman and Diu, Deptt. of Planning & Statistics, Secretariat, Daman - 396220.

### Dated :23/04/2015.

# Sub : Irregularities and corrupt practices in registration of birth and death and issuance of certificates thereof..

Ref: Letter No.11/2/2014-VS(CRS)/271 dated 25<sup>th</sup> March, 2015 from the Office of the Registrar General, India, Ministry of Home Affairs, New Delhi 110 066.

## CIRCULAR

It is to bring to the notices of all the functionaries dealing with the registration of births and deaths that the registration of births and deaths are being done under the provision of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 and the corresponding rules made thereunder. As per the provisions of Section 7 and 21 of the RBD Act, every birth (including still birth) and death are required to be registered by the concerned Registering Authorities which was occurred in his jurisdiction. Further, under the provision of Section 12 of the said Act, the Registrar is required to issue the relevant extract/certificate from the birth/death registers to the informant as soon as the registration is completed.

It is reported that despite the mandatory provisions of registration and issuance of extract of the certificate under the Act, it has been observed that public is facing problem in registering an event of birth and death and obtaining the desired birth/death certificate. It has been reported by the Ministry that several complaints/representations in respect of corrupt practices is being followed in the system of registration of births and deaths. It has also been reported that for getting birth or death certificates, bribes are paid to the registration functionaries.

In order to streamline the successful and citizen friendly civil registration system, all the Registrars are requested to take concrete efforts and take suitable steps to prevent the bribery under the existing system of registration of births and deaths and in issuance of extract/certificate so that the general public will not suffer in obtaining birth/death certificate within the stipulated time period. The administration will take strict action in the following cases against the defaulters.

- 1) Strict action will be taken against the person involved in any corrupt practices in the work of registration of births and deaths and issuances of certificates to the public. In extreme cases, legal action will also be considered.
- 2) A transparent system on registration of births and deaths should be placed, wherein time limit should be prescribed for registration (including delayed registration) and issuance of birth/death certificates.
- 3) The registration functionaries should not be kept at one place of posting for more than 3 years or as per the transfer policy guidelines issued by the Administration from time to time.
- 4) The penalties as prescribed under Section 23 (2) of the RBD Act shall be imposed on any Registrars or Sub Registrars who neglects or refuses, without any reasonable cause to register any birth or death occurring in his/her jurisdiction or not to submit any prescribed monthly return.
- 5) Corrections under Rule 11 of Daman and Diu RBD Rules, 2000 read with Section 15 of RBD Act 1969 are not allowed as matter of routine. The Registrars must follow the Circular No.DPS/306/2001-02/121 dated 22/4/2002 and other directions/instructions/circulars issued on the subject with letter and spirit.

The above directions may be noted for strict compliance.

( Dr. S. D. Bhardwaj ) Deputy Director (Planning) / Addl. Chief Registrar of Births & Deaths c 241

## Copy forwarded to :-

- 1) The Secretary (Planning) and Chief Registrar of Births and Deaths, Secretariat, Daman & Diu.
- 2) The Collector & District Registrar of Births and Deaths, Daman / Diu.
- The Dy. Registrar General (CRS), MHA, Office of Registrar General, India, Govt. of India, Vital Statistics Division, West Block- 1, R.K. Puram, New Delhi – 110066.
- 4) The Director, Census Operation Gujarat, Ministry of Home Affairs, Directorate of Census Operation Gujarat, Census Bhavan, Sector 10/A, Gandhinagar-382010.
- 5) The Block Development Officer & Addl. District Registrar of Births and Deaths, Daman / Diu District.
- 6) All Registrars of Births and Deaths, Daman and Diu.

s. \*.

7) The Assistant Director (Official Language), Secretariat, Daman with request to translate the same in Hindi.

10/19/19 23/04/15